निग. - 1253-PBR-15

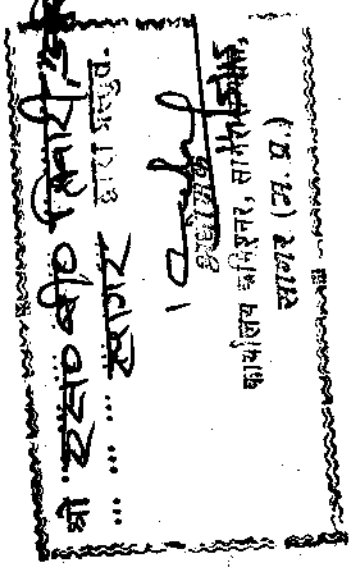

समक्ष माननीय बोर्ड आफ रेवेन्यु ग्वालियर

B.O.R

4 MAY 2015

1. सुक्की बल्द आशाराम रावत

2. रामदीन बल्द आशाराम रावत

वारिस उत्तराधिकारी-

मनमोहन बल्द सुक्की उर्फ रामसेवक रावत

सभी निवासी ग्राम तिगोड़ा त0 बंडा

जिला सागर म.प्र.

.. आवेदकगण

।। बनाम।।

1. राधिका बल्द छोटेलाल रावत

2. रामेश्वर बल्द आशाराम रावत

सभी निवासी ग्राम तिगोड़ा त0 बंडा

जिला सागर म.प्र.

..अनावेदकगण

198

27-05-15

आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 51 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

आवेदक निम्नलिखित प्रार्थना करते है :-

1- यहकि, आवेदकगण ने एक निगरानी माननीय न्यायालय में आदेश विद्वान अपर कमिश्नर महोदय सागर संभाग सागर के प्र0क्र0 183/3/2010-11 आदेश दि0 08-10-2004 के विरूद्ध माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की थी ।

2- यहकि, माननीय न्यायालय ने प्र0क्र01682/दो/2004 मे दिनांक 10-02-2015 को आदेश पारित किया है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी को निरस्त कर दी है ।

3- यहकि, प्रकरण में यह दृष्टया है कि विद्वान कलेक्टर महोदय, सागर ने अनुविभागीय अधिकारी का आदेश शून्यवत घोषित कर उभयपक्ष

.. 2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1253–पीबीआर/2015 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12.5.16	आवेदक अधिवक्ता द्वारा रिव्यु की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1682–दो/2004 में पारित आदेश दिनांक 10–02–2015 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । आवेदक सूचित हों । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	